न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/61/2023	2023/352	26-07-2023	04.12.2024

01. प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

–प्रार्थी

बनाम

01. श्री किशन, मुकेश, केदार सैनी, बिहारी लाल शर्मा, जयदुर्गा सैनी, राकेश, मनोहर लाल सैनी, महेश, मनीष सैनी, कालू, लक्ष्मीनारायण, छगन लाल, राकेश कुमार, संजय, अज्ञात, नरेश, इन्द्र कुमार, मोहन लाल, प्रकाश, खूबचंद, ध्रुव।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत कुल 28 गैस सिलेण्डर **को राजसात करने बाबत।**

उपस्थितः–

1. प्रशान्त यादव, प्रवर्तन निरीक्षक –विभागीय प्रतिनिधि

––:: निर्णय ::––

प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत कुल 28 गैस सिलेण्डर जिनमें 4 सीलशुदा एवं 24 बिना सील के गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि श्रीमान् जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 06.01.2015 को दिये गये निर्देशों की अनुपालना में प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध उपयोग की रोकथाम हेतु कार्यवाही की गई। प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा पुराना कटला, होप सर्कस, बस स्टेण्ड के सामेन, नंगली सर्किल जैल चौराहा एवं शिवाजी पार्क बस स्टॉप पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए निम्न व्यक्तियों से– श्री किशन (सिलेण्डर क्रमांक 36031 बीपीसीएल), मुकेश (सिलेण्डर क्रमांक 16939 आईओसी), केदार सैनी (सिलेण्डर क्रमांक 981368 बीपीसीएल), बिहारी लाल शर्मा (सिलेण्डर क्रमांक 505901 बीपीसीएल), जयदुर्गा सैनी (सिलेण्डर क्रमांक 124201 बीपीसीएल), राकेश (सिलेण्डर क्रमांक 272543 एचपीसीएल), मनोहर लाल सैनी (सिलेण्डर क्रमांक 869459 आईओसी), महेश (सिलेण्डर क्रमांक 485282 आईओसी), मनीष सैनी (सिलेण्डर क्रमांक 81527 बीपीसीएल), कालू (सिलेण्डर क्रमांक 34000, 43265, 98400 बीपीसीएल), लक्ष्मीनारायण (सिलेण्डर क्रमांक 843977, 784742, 784742 एचपीसीएल), छगन लाल (सिलेण्डर क्रमांक 735400 बीपीसीएल, 153178 एचपीसीएल), राकेश कुमार (सिलेण्डर क्रमांक 541448 आईओसी), संजय (सिलेण्डर क्रमांक 156658 एचपीसीएल), अज्ञात (सिलेण्डर क्रमांक 156201, 37311, 381130 एचपीसीएल), नरेश (सिलेण्डर क्रमांक 302698 आईओसी), इन्द्र कुमार (सिलेण्डर क्रमांक 52097 आईओसी), मोहन लाल (सिलेण्डर क्रमांक 227927, 251210 एचपीसीएल), प्रकाश (सिलेण्डर क्रमांक 532279 एचपीसीएल), खूबचंद (सिलेण्डर क्रमांक 495736 आईओसी), ध्रुव (सिलेण्डर क्रमांक नं० अंकित नहीं आईओसी) कुल 28 गैस सिलेण्डर जिनमें 4 सीलशुदा एवं 24 बिना सील के गैस सिलेण्डर जब्त सरकार किये गये तथा सुरक्षा व परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मै० प्रसन्ना गैस एजेंसी, एनईबी, अलवर की सुपुर्दगी में दिये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 4

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

सीलशुदा एवं 24 बिना सील के (कुल 28) गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद रजि0 तलबी/तामील के अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था तथा वक्त जांच अप्रार्थीगण द्वारा सिलेण्डरों के भण्डारण से संबंधित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। वक्त जांच मौके पर 4 सीलशुदा एवं 24 बिना सील के (कुल 28) (क्षमता 14.2 किग्रा) गैस सिलेण्डर्स पाए गए तथा वक्त जांच उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग/भण्डारण व्यावसायिक रूप में किया जा रहा था। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 4 सीलशुदा एवं 24 बिना सील के (कुल 28) गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 4 सीलशुदा एवं 24 बिना सील के (कुल 28) गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)